<u>न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा</u>

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 575/2018 वाद

उंकार पिता छगनलाल लुहार, आयु वयस्क, निवासी कारूण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. श्रीमती गीता पिता छगनलाल लौहार, आयु वयस्क, निवासी कारूण्डा।
2. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड, मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर एवं 17 ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर जरिये निर्देशक श्री परमानन्द पाटीदार पुत्र श्री प्रभुलाल पाटीदार, आयु वयस्क, पेशा नौकरी, निवासी उदयपुर, हा.मु. निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि.</u>

<u>श्री शम्भुलाल तेली, अधिवक्ता वादी, उपस्थित</u>

<u>श्री पूरणमल धाकड़, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, उपस्थित</u>

<u>श्री ऋषभ कुमार सेठीया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक 09.10.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शामलाती खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कारूण्डा की खाता संख्या 31 की आराजी नं. 318 व 319 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 266/570, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 2 का 38/114 हक हिस्सा है। पूर्व में वादी का इस भूमि में 4/5 हक हिस्सा था जिसमें से 38/114 हक मय ट्युबवैल के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2018 से दक्षिण दिशा के दक्षिण ओर की 38 आरी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 को कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मेड, पाली व कब्जे को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का बंटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि का बंटवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रेकार्ड में अंकित हिस्से व कब्जे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी का दावा डिक्री करते हुए कब्जे व हिस्से अनुसार बंटवारा कराये जाने में सहमति प्रकट की। प्रतिवादी संख्या 1 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अपनी आपत्तियां प्रकट की। दिनांक 09.10.2019 को उभय पक्ष मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामें अनुसार वाद का निस्तारण करने में सहमति प्रकट की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने दावे के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम कारूण्डा की खाता संख्या 31 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। प्रश्नगत आराजीयात में वादी का 266/570, गीता का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 38/114 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। पक्षकारान ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है। साथ ही कब्जे अनुसार नजरी नक्शा प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार ही बंटवारा किये जाने का निवेदन किया है। पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं जिन्हें अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करा अलग खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। चूंकि खातेदारों ने स्वयं नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा चाहा है इसलिए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार अन्तिम डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कारूण्डा की खाता संख्या 31 की आराजी नं. 318 व 319 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से नजरी नक्शे में अंकित अनुसार उत्तर दिशा का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती गीता पिता छगना लौहार निवासी कारूण्डा के नाम अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी प्रकार उक्त दोनों आराजीयात का मध्य वाला 266/570 हक हिस्सा वादी उंकार पिता छगनलाल लौहार निवासी कारूण्डा के नाम अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। इसी प्रकार विवादित भूमि दक्षिण दिशा का 38/114 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के नाम अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 575/2018 वाद

उंकार पिता छगनलाल लुहार, आयु वयस्क, निवासी कारूण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. श्रीमती गीता पिता छगनलाल लौहार, आयु वयस्क, निवासी कारूण्डा।
2. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड, मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर एवं 17 ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर जरिये निर्देशक श्री परमानन्द पाटीदार पुत्र श्री प्रभुलाल पाटीदार, आयु वयस्क, पेशा नौकरी, निवासी उदयपुर, हा.मु. निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री पूरणमल धाकड व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री ऋषभ कुमार सेठीया की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कारूण्डा की खाता संख्या 31 की आराजी नं. 318 व 319 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर में से नजरी नक्शे में अंकित अनुसार उत्तर दिशा का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती गीता पिता छगना लौहार निवासी कारूण्डा के नाम अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी प्रकार उक्त दोनों आराजीयात का मध्य वाला 266/570 हक हिस्सा वादी उंकार पिता छगनलाल लौहार निवासी कारूण्डा के नाम अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। इसी प्रकार विवादित भूमि दक्षिण दिशा का 38/114 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के नाम अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: